ब्यावर

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

158/19/प्रा.पत्र कन्टे. श्रीमती मदीना बनाम महेन्द्र सिंह

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2019/00158 | |
| पेशी | श्री समीर अहमद खान श्री घनश्याम सिंह लालावत | |

श्रीमती मदीना बनाम महेन्द्र सिंह वगैरह

25/01/2024

प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2 (अ) सपठित धारा 3 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट) वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 12.01.2021 को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अवमानना पर कथन किया कि मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2019 को विवादग्रस्त आराजी के बाबत् अपील को दर्ज करते हुए मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद कर दिया अर्थात विवादित आराजी खसरा नम्बर खाता संख्या 261 के हाल खसरा नम्बर 1418, 1479, 1486, 1489 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाकै ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर पर आगामी पेशी दिनांक 01.05.2019 तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश पारित कर दिया तथा उसकी प्रति दिनांक 22.04.2019 को जारी कर दी जो प्रार्थिया ने दिनांक 23.04.2019 को तहसीलदार, ब्यावर को दे दी जिस पर तहसीलदार ने उक्त स्थगन का ऑफिस कानूनगों को प्रषित कर दिया। प्रार्थिया ने उपरोक्त स्थगन आदेश की पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर अधीनस्थ कर्मचारी व थानाधिकारी, जवाजा से स्थगन आदेश की पालना की गुहार की लेकिन उपरोक्त समस्त अधिकारियों ने उक्त आदेश की कोई पालना नहीं कराई तथा मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को भी नहीं रोका। मान्नीय न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार की कार्यवाही की गई है वह न केवल न्यायालय की गरीमा को कम करता है। इसलिए न्यायालय की गरिमा व सम्मान को बनाये रखने के लिए इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसे दण्डित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को दण्डित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मूल अपील के निर्णय के समय अप्रार्थी संख्या 01 ने विवादित आराजी पर निर्माण कार्य चालू नहीं बाबत् दस्तावेज पेश किये हैं, कहने मात्र से यह नहीं माना चाहिए कि स्थगन आदेश के बावजूद भी कार्य किया गया है। भू–निरीक्षक, राजियावास की मौका पर्चा दिनांक 24.04.2019 के अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर 1486 पर 834 वर्गफीट क्षेत्रफल पर मकान निर्माणधीन है। मौके पर अप्रार्थी महेन्द्र सिंह पुत्री लादू जाति मेहरात निवासी राजियावास को उक्त आदेश की पालना में मकान निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। उसमें महेन्द्र के हस्ताक्षर है। मौका पर्चा दिनांक 08.11.2019 के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य बंद पाया गया। पटवारी राजियावास की मौका परचा रिपोर्ट दिनांक 12.01.2020 को वर्तमान में निर्माण कार्य बंद मिला। प्रकरण में कुल विवादित भूमि 4 बिघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदार है जिसमें मेरा हिस्सा 1/12 है जिस पर मेरा कब्जा काश्त व रहवासी मकान बना हुआ है जो करीबन 200वर्गगज में बना हुआ है जो मैने प्रकरण पेश व दर्ज होने से पहले निर्माण करवा लिया था लेकिन छत पर पट्टियॉ रखी हुई है जो स्थगन होने से पहले रखी गयी है तथा पत्थर की पट्टियॉ पर कड़ा नहीं डाला जा सका। उपरोक्त प्रकरण में मान्नीय न्यायालय से स्टे होने के बाद मैने कोई नींव खोदकर नया निर्माण नहीं किया है, शौचालय व स्नान घर की नीवं खोदी हुई, जिस पर निर्माण

लगातार

# अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ब्यावर

158/19 प्रा.पत्र श्रीमती मदीना बनाम महेन्द्र सिंह

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| पेशी | 2019/2158<br>श्री समीर अहमद खान श्री जी.एम. लाखावत | |
| लगातार | कार्य किया जाना बाकी है। अप्रार्थी संख्या 01 के विवादित भूमि पर किया गया निर्माण कार्य वाद एवं प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाने से पूर्व का है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अवमानना, मान्नीय न्यायालय के आदेश की किसी प्रकार की अवमानना नहीं किये जाने से खारिज योग्य है। खारिज किया जावें।<br><br>अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना व न्यायालय हाजा की अपील संख्या 145/2019 बउनवानी श्रीमती मदीना बनामा महेन्द्र वगैरह का अवलोकन किया गया। उत्तरादाता द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना करने को कोई मंशा नही रही बल्कि उत्तरदाता हमेशा से न्यायालय के आदेश की पालना एवं सम्मान करता आया हैं। मूल अपील दिनांक 09.09.2020 को संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जा चुकी है। फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ( धारा 2 बी 12, 13 एवं 16 कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट एक्ट 1971 एवं आदेश 39 नियम 2 (अ) सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज योग्य हैं।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र ( धारा 2 बी 12, 13 एवं 16 कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट एक्त 1971 एवं आदेश 39 नियम 2 (अ) सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।<br><br>23/11/2021<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |